25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा (नोमिनी), मैसर्स– धर्मपाल सत्यपाल लि. वि. परसरामपुरा पी.ओ. सरगोठ नियर वाटर हैड टैंक एस.के.एस. रीको इण्डस्ट्रीय एरिया रींगस जिला सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 16.12.2016 को समय 04:15 पी.एम. पर रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रींगस सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लि. वि. परसरामपुरा पी.ओ. सरगोठ नियर वाटर हैड टैंक एस.के.एस. रीको इण्डस्ट्रीय एरिया रींगस जिला सीकर, में अप्रार्थी श्री तरूण शर्मा की देखरेख में पाश्च्चुरिकृत फुलक्रिम दुध (क्षीर) का विक्रय हेतु पैंकिग तैयार थी। अप्रार्थी को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। तरूण शर्मा वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2016 होना बताया।

फर्म पर श्री तरूण शर्मा द्वारा विक्रय के लिये पाश्च्चुरिकृत फुलक्रिम दुध (क्षीर) पैकिंग कि जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 60X24X500 एम.एल. पाश्च्चुरिकृत फुलक्रिम दुध (क्षीर) के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 4X500 एम.एल. मूल कम्पनी पैक मे खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 104 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं रखा जिससे ये साबित होता हो कि अप्रार्थी निर्दोष है। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह सामने आया कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में कम से कम जुर्माना राशि तय कर निस्तारण करने की कृपा करे। साथ ही डी. एस. ग्रुप का लोगो लगे पत्र में बिन्दु संख्या 4 में यह भी स्वीकार किया गया है कि "जांच में दर्शाये गये मिथ्याछाप को सही कर कम्पनि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:21 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
(सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जा

द्वारा नई पैंकिग करवाकर पैंकिग शुरू कर दी गई है'' प्रार्थी नम्बर एफ–632 खाद्य पदार्थ पाश्च्युरिकृत फुलक्रिम दुध (क्षीर) का नमूना लिया गया। साथ ही राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ पाश्च्युरिकृत फुलक्रिम दुध (क्षीर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 1,00,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner